प्रकरण को अन्तर्गत धारा 09 R S R.C. के तहत स्थगित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर 6 कम हो। बाद इति दाखिल रफा हो।

आदेश :-

शील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया पूर्व में जारी नोटिस तामील प्राप्त नहीं हुए। पुनः भेजकर पेश करें। पत्रावली दिनांक 15/4/18 को पेश हो।

4/6/18 पत्रावली बाद दिनांक को कैम्प न्याय आपके द्वारा रवारानीजी में प्रस्तुत हुई। पक्षकार कैम्प उपस्थित हुए। हस्ताक्षर करने से मना किया। पक्षकारों की सुनवाई लोक अदालत की भावना से की गई। प्रार्थीगण ने खसरा 220 में जाने हेतु खसरा नं० 218 में रास्ता चाहा है खसरा नं० 220 से आगे रास्ता चालू नहीं है। न्यूनतम रास्ता दिया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 251 A के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद इति दाखिल रफा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़